मत्स्य निदेशालय
झारखण्ड, रॉची

"अति अल्पकालिन इच्छा की अभिव्यक्ति"

मत्स्य विपणन योजना 2021—22 के स्वीकृत्यादेश संख्या 38 रा0 (वि0) दिनांक 02.02.2022 के आलोक में फिश रिटेलिंग कियोस्क/फेब्रिकेटेड शॉप की झारखण्ड राज्य के जिलों में आपूर्ति हेतु न्यूनतम् दर के लिए निर्धारण इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

आवेदनकर्ता को दो अलग—अलग मुहरबंद लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय बीड जमा करना होगा जो एक अलग लिफाफे बंद होगा। जिन आवेदनकर्ताओं का तकनीकी बीड क्रय समिति द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, उन्हीं आवेदनकर्ताओं के वित्तीय बीड विचारणीय होंगे । इच्छा की अभिव्यक्ति की शर्तें, मॉडल स्पेशिफिकेशन एवं वित्तीय बीड का प्रपत्र मत्स्य निदेशालय, डोरण्डा, रॉची—2 से मो0 5000.00 (पॉच हजार) रू0 मात्र के बैंक ड्राफ्ट जमा कर दिनांक 21.02.2022 से 02.03.2022 तक कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। इच्छा की अभिव्यक्ति जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 03.03.2022 को 1.00 बजे अपराह्न तक होगी एवं उसी दिन 03.00 बजे अपराह्न में तकनीकी बीड क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी । बैंक ड्राफ्ट निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची (Director of Fisheries, Jharkhand) के पदनाम से एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डोरण्डा शाखा में भुगतेय होना चाहिए। इच्छा की अभिव्यक्ति की अन्य शर्तें कार्यालय के सूचना पट्ट एवं मत्स्य निदेशालय के वेवसाईट jharkhandfisheries.org एवं prdjharkhand.in पर देखा जा सकता है। अधोहस्ताक्षरी को किसी भी इच्छा की अभिव्यक्ति को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा एवं क्रय की बाध्यता नहीं रहेगी।

18/2/22

निदेशक मत्स्य

सं0सं0—म0 नि0/V/क्रय/10/2021—22/ 309. **/मत्स्य/रॉची, दिनांक** 18-02-22.

प्रतिलिपि : निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, रॉची को मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

18/2/22

निदेशक मत्स्य

फिश रिटेलिंग कियोस्क/फेब्रिकेटेड शॉप हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति की शर्तें

क). फिश रिटेलिंग कियोस्क/फेब्रिकेटेड शॉप हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति हेतु तकनीकी बिड के लिए वांछित प्रमाणपत्र :–

1. आवेदनकर्ता को जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
2. आवेदनकर्ता को वित्तीय वर्ष 2019–20 के आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करनी होगी।
3. आवेदनकर्ता को फिश रिटेलिंग कियोस्क/फेब्रिकेटेड शॉप का सरकारी कार्यालय द्वारा निर्गत कम से कम 10 फिश रिटेलिंग कियोस्क/फेब्रिकेटेड शॉप बनाये जाने/आपूर्ति का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
4. आवेदनकर्ता जो उक्त कार्य से सबंधित उद्योग/लघु उद्योग विभाग का MSME/NSIC में निबंधित हों का उद्यम रजिस्ट्रेशन का सत्यापन से संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
5. आवेदनकर्ता को निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉंची (Director of Fisheries, Jharkhand) के पक्ष में 50000.00 (पचास हजार) रु0 का रॉंची में भुगतेय राष्ट्रीय बैंक का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
6. फर्म/फेब्रिकेटर/संवेदक को काली सूची में न डाले जाने संबंधी "स्वघोषणा पत्र" संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. फर्म/फेब्रिकेटर/संवेदक को निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने का स्वघोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. तकनीकी बीड हेतु निर्धारित तकनीकी बीड के प्रोफोर्मा में ही तकनीकी बीड जमा करना होगा।
9. तकनीकी बीड के साथ निदेशालय द्वारा निर्गत निविदापत्र के क्रय रसीद की मूल प्रति अथवा स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

ख). फिश रिटेलिंग कियोस्क/फेब्रिकेटेड शॉप हेतु वित्तीय बिड के लिए शर्तें :–

1. आवेदनकर्ता को निदेशालय द्वारा निर्धारित वित्तीय बीड के प्रोफोर्मा में ही वित्तीय बीड अलग सीलबंद लिफाफे में जमा करना होगा।
2. सभी प्रकार के कर, ढुलाई एवं भाड़ा सहित दर अंकित करना होगा। फिश रिटेलिंग कियोस्क/फेब्रिकेटेड शॉप की आपूर्ति/अधिष्ठापन पूरे झारखण्ड के निदेशित स्थल पर करना होगा इसके लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
3. फिश रिटेलिंग कियोस्क/फेब्रिकेटेड शॉप अधिकतम् 4.00 लाख (चार लाख) रुपया अनुमानित है।

309
18-02-2022

ग). फिश रिटेलिंग कियोस्क/फेब्रिकेटेड शॉप हेतु अन्य शर्तें :–

1. तकनीकी एवं वित्तीय बीड अलग–अलग लिफाफों में सील बन्द कर, जमा किया जाएगा। उक्त दोनों लिफाफे पुनः एक अलग लिफाफे में होने चाहिए। उसके उपर संबंधित विषय एवं फर्म का नाम, पता एवं मोबाईल नं0 साफ–साफ अंकित होना चाहिए। प्रत्येक सील्ड लिफाफा पर अलग–अलग "वित्तीय बीड"/"तकनीकी बीड" अवश्य अंकित होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर लिफाफे नहीं खोले जाएंगे। तकनीकी बीड में सफल आवेदनकर्ता का ही वित्तीय बीड खोलें जाएंगे।
2. इच्छा की अभिव्यक्ति आवेदनों को खोलने के समय निविदादाता स्वयं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। आवश्यकतानुसार बैठक में भाग लेने समय प्राधिकृत प्रतिनिधि से प्राधिकृत होने का प्रमाण–पत्र मांगा जायेगा।
3. फिश रिटेलिंग कियोस्क/फेब्रिकेटेड शॉप हेतु स्पेसीफिकेशन के अनुरुप तैयार कराना होगा। जो विक्रय किये जा रहे इच्छा की अभिव्यक्ति प्रपत्र के साथ संलग्न रहेगा।
4. आपूर्तिकर्ता को स्वयं के खर्च पर परिवहन सहित संबंधित जिले में फिश रिटेलिंग कियोस्क/फेब्रिकेटेड शॉप अधिष्ठापन करना होगा ।
5. एक फिश रिटेलिंग कियोस्क/फेब्रिकेटेड शॉप में लाभुक को सरकारी सहायता 90 प्रतिशत अथवा अधिकतम् 3.60 लाख रु0 (दोनों में से जो कम हो) दिया जाएगा। कियोस्क की साज सज्जा तथा विद्युत व्यय शुल्क, अनुदान से अधिक व्यय आदि के व्यय का वहन लाभुक के द्वारा किया जाएगा।
6. निदेशालय स्तर पर जमा किया गया अग्रधन सभी को इच्छा की अभिव्यक्ति निष्पादन के उपरांत वापस कर दिया जाएगा तथा जिस जिले में इनके द्वारा कार्य प्राप्त किया जाएगा/कार्यादेश प्राप्त होगा वहाँ एकरारनामा करते हुए Performance Security एक अदद् हेतु मो0 10000.00 (दस हजार) रु0 तथा एक से अधिक होने पर मो0 20000.00 (बीस हजार) रु0 का बैंक ड्राफ्ट संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के पदनाम से उनके कार्यालय में जमा करना होगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी को जमा की गई राशि Performance Security दो वर्ष की गारन्टी पूर्ण होने पर बिना ब्याज के संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा वापस कर दी जाएगी ।
7. निदेशालय स्तरीय समिति को दर अधिक महसूस होने की अवस्था में वार्ता कर (Negotiation) दर निर्धारित करने एवं L1 की दर पर तकनीकी बीड में सफल अन्य आवेदनकर्ता के सहमत होने पर उन्हें सम्मिलित किये जाने का अधिकार होगा।
8. फिश रिटेलिंग कियोस्क/फेब्रिकेटेड शॉप की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यादेश रद्द करते हुए Performance Security की राशि जब्त करने का अधिकार संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी को होगा। यदि चयनित आवेदनकर्ता द्वारा फिश रिटेलिंग कियोस्क/फेब्रिकेटेड शॉप निर्माण में शिथिलता बरती जाती है तो निर्धारित L1 दर पर अन्य सफल चयनित आवेदनकर्ता से फिश रिटेलिंग कियोस्क/फेब्रिकेटेड शॉप निर्माण कराने का अधिकार संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी को होगा।
9. आवेदनकर्ता द्वारा निर्मित फिश रिटेलिंग कियोस्क/फेब्रिकेटेड शॉप का मेनटेनेंस/फेब्रिकेशन/ट्रान्सपोर्टेशन डिफॉल्ट का स्वलागत पर करना होगा।

309
18-02-2022

10. बिना कारण बताये इच्छा की अभिव्यक्ति को पूर्ण रुप से अथवा आंशिक रुप से रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा ।
11. निदेशालय स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा अगले इच्छा की अभिव्यक्ति/अगले आदेश तक के लिए मान्य होगा ।
12. एन. आई. टी., इच्छा की अभिव्यक्ति के शर्तों का अंग होगा।
13. आवेदन खोलने की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
14. इच्छा की अभिव्यक्ति के नियम एवं शर्तों को शिथिल करने का अधिकार निदेशालय स्तरीय समिति को होगा।
15. यह विज्ञापन दर निर्धारण मात्र के लिए है, इस इच्छा की अभिव्यक्ति के विरुद्ध मत्स्य निदेशालय से कार्य दिये जाने की बाध्यता नहीं होगी ।

309
18-02-2022

18/2/22
निदेशक मत्स्य,
झारखण्ड, राँची